संख्या-134/2023/I/437386/2023/004-71-2099-45-2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 01 दिसम्बर**, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-KSSSCI/Lekha-34/180/2023-24 **दिनांक 21-11-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 666.66 लाख की धनराशि (चतुर्थ किश्त) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- अवगत कराना है कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ हेतु अनुदान संख्या-31 **के अन्तर्गत मानक मद-**20-**सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू**0 4000.00 **लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से रू0 1999.98 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 666.66 **लाख (रूपया छह करोड छियासठ लाख छियासठ हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3) निदेशक एवं वित्त नियंत्रक कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

(4) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/ निदेशक, संस्थान का होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 666.66 लाख (रूपया छह करोड छियासठ लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050308 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- ई-3-230/दस-2023-24, दिनांक- 28 नवम्बर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- उपरोक्तानुसार-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,** उ0प्र0, **प्रयागराज।**
2. **प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय,** उ0प्र0, **प्रयागराज।**
3. **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।**
4. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,** उ0प्र0 **लखनऊ।**
5. **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
6. **नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।**
7. **वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ।**
8. **वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**
9. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।